न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2025	प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 63/2025 श्रीमती शशि पत्नि मदनमोहन जाति महाजन बनाम श्री नवनीत कुमार उपखण्ड अधिकारी सिकराय व अन्य अधिवक्ता प्रार्थीनी श्री विनोद कुमार विजय उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थीनी ने उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष वाके ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 570 रकबा 1.2900 है0 के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार तकास्मा करने का वाद प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में जवाब दावा पेश हुआ और दिनांक 3.7.2023 को उक्त मुकदमें में तनकी कायम करने का आदेश पारित किया गया और प्रतिवादी नं. 4 ने दिनांक 26.4.2024 को इकतरफा सेटअसाईड का प्रार्थना पत्र पेश किया और प्रतिवादी नं. 4 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही निरस्त की गई तथा प्रतिवादी नं. 4 ने जवाब दावा पेश किया व काउन्टर वाद पेश किया। जिस काउन्टर वाद का अपीलांट वादी ने दिनांक 2.5.2025 को जवाब पेश किया और पत्रावली में तारीख पेशी कायमी तनकीयात हेतु दिनांक 9.5.2025 दी गयी। उक्त मुकदमें में कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी न कोई साक्ष्य ली गई और ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये और दिनांक 9.5.2025 को ही उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री इस आशय की पारित कर दी कि दावा स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 570 ग्राम पीपलकी के विभाजन हेतु विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर तीन प्रतियों में भिजवाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किये जाते हैं। उपखण्ड अधिकारी सिकराय अप्रार्थी सं. 5से मिले हुए हैं, जो इस बात से प्रमाणित है कि दिनांक 9.5.2025 को प्रकरण कायमी तनकीयात हेतु नियत था और कानूनन तनकी बनाकर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर विधिवत विवेचन करते हुए निर्णय किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिका सिकराय ने बिना तनकी बनाये ही व बिना साक्ष्य लिये ही व बिना कोई दस्तावेज प्रदर्श हुए एवं बिना बहस सुने ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो मिलीभगत होने का प्रमाण है। प्रार्थीनी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5. 2025 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी है जिसमें केवियट लगी हुई होने के कारण केवियटकर्ता की तलबी में उक्त पत्रावली नियत है। प्रार्थीनी ने उपखण्ड अधिकारी सिकराय को अपील पेश करने की सूचना भी लिखित में दे दी। कानूनन जब प्राथमिक निर्णय व डिक्रि के विरूद्ध अपील पेश कर दी जाती है तो अंतिम डिक्रि पारित नहीं की जा सकती है, किन्तु उपखण्ड अधिकारी सिकराय कुरेजात रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति पर कोई निर्णय किये बिना ही प्रार्थीनी को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही अंतिम डिक्री पारित करने पर आमादा हो रहे है। प्रकरण में प्रार्थीनी को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय होता प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रार्थीनी को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मुकदमा उनवानी शशि बनाम सुनीता दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 83/2022 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी सं.5 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में प्रश्नगत भूमि के तकास्मा हेतु दावा प्रार्थीनी द्वारा पेश किया गया है। जिसमें कुरेजात पेश होने पर प्रतिवादी की ओर से सहमति प्रदान की गई थी। इसलिये तनकी कायम किये जाने व साक्ष्य आदि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2025 पारित किया गया है। जिसकी अपील प्रार्थीनी द्वारा अपीलेट न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में कर दी गई है। एक ओर प्रार्थीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 9.5.2025 के विरूद्ध अपील पेश की गई है जिसमें इनको स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा न्यायलय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के पीठासीन अधिकारी पर मनगढन्त झूठे आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार उभयपक्षकारान को सुना जाकर ही पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत है, फिर भी यदि पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2025 के विरूद्ध अपीलेट न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील पेश की गई है। तत्पश्चात उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण भी इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अपीलेट न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहने से प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति. जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official